HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED

पंजीकृत कार्यालय 27–ए, विकसित औद्योगिक एस्टेट, गिंडी, चेन्नई–600 032, तमिलनाडु
ई–मेल: auction@hindujahousingfinance.com

सीएलएम – मुकुल शर्मा – 82854 15168; एएलएम श्री प्रमोद चंद – 99903 38759;
आरआरएम – श्री रविशंकर – 99997 35552; जेडआरएम – श्री पवन पांडे – 80105 62716

कब्जा नोटिस (अचल संपत्ति के लिए)

चूंकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 की संख्या 3) के तहत हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए कहते हुए कर्जदार (इसके बाद कर्जदार और गारंटरों को सामूहिक रूप से 'कर्जदार' के रूप में संदर्भित) को प्रत्येक खाते के सामने उल्लिखित तिथियों पर एक मांग सूचना जारी की थी। कर्जदारों द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने पर, विशेष रूप से कर्जदारों और सामान्य रूप से जनता को नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम,2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा 4 के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में नीचे वर्णित संपत्ति पर प्रत्येक खाते के सम्मुख उल्लिखित तिथियों पर कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से कर्जदार/गारंटर और सामान्य रूप से जनता को आगाह किया जाता है कि वे संपत्ति के साथ लेनदेन न करें और संपत्ति के साथ कोई भी लेनदेन राशि तथा उस पर होने वाले आकस्मिक खर्च, लागत, शुल्क आदि सहित उपरोक्त राशि पर संविदात्मक दर पर भावी ब्याज के लिए हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा। प्रतिभूत आस्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय–सीमा के सम्बन्ध में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

	खाता संख्या, उधारकर्ताओं के नाम और पता	कब्जे की तारीख:
1.	जीआर/केएपी/केयूएन/ए000000476,1. श्री नन्हें (आवेदक) पुत्र चंद्रभान 2. श्रीमती सुमन (सह–आवेदक) पत्नी नन्हें, मकान नंबर–49, डाबोदा खुर्द, बहादुरगढ़, झज्जर, हरियाणा–124507, संपत्ति का विवरण: वाका मौजा गांव डाबोदा खुर्द, बहादुरगढ़, झज्जर, हरियाणा में स्थित 544.5 वर्ग गज मापने वाली संपत्ति/भूखंड का वह समपरण टुकड़ा और अंश। जो खेवट संख्या 468//431, खतौनी संख्या 537, खसरा संख्या 214, रकबा 3 कनाल 12 मरला हिस्सा 1/4 अर्थात रकबा 544.5 वर्ग गज वाया जमाबंदी वर्ष 2020–21 है। श्रीमती सुमन पत्नी श्री नन्हें द्वारा, स्थानांतरण विलेख संख्या–1701, दिनांक–27–05–2022 द्वारा, उप–रजिस्ट्रार बहादुरगढ़ में पंजीकृत अनुसार बंधक, सीमाएं:– पूर्व: सड़क, पश्चिम: जयपाल की संपत्ति, उत्तर: रामफल की संपत्ति, दक्षिण: सड़क	28–07–2026 मांग की तारीख और कुल बकाया राशि : 19.12.2025 रु:20,75,690/–
2.	जीआर/केएपी/केयूएन/ए000000541, 1. श्री दीपक (आवेदक) पुत्र तारा चंद 2. श्रीमती अनीता महिपाल (सह–आवेदक) पत्नी तारा चंद। खीरी सुल्तान, खीरी तालुका पटौदी(251),झज्जर, हरियाणा–124108, संपत्ति का विवरण: 2 ए संपत्ति/मकान/प्लष्ट खेवट नंबर 1375, खाता नंबर 1445, मु. नंबर 140, किला नंबर 18/2(0–3) रकबा तदादी 0 कनाल 3 मरला वाक्या रकबा खीरी तालुका पटौदी तहसील और जिला झज्जर हरियाणा–124108। सीमाएँ:– पूर्व: रास्ता 16–0, पश्चिम: सुंदर पुत्र मंगतुराम का घर, उत्तर: नरेष पुत्र भगवान सिंह का घर, दक्षिण: जसबीर पुत्र रामकंवर का घर	25-07-2026 08-04-2026 रू. 6,69,419
3.	जीआर/केएपी/केयूएन/ए000000706, 1. श्री वसीम (आवेदक) पुत्र रुजदार 2. श्रीमती बुद्धो सत्तार (सह–आवेदक) पुत्र रुजदार 3. श्री वसीम अकरम (सह–आवेदक) पुत्र रुजदार। वार्ड नंबर–11, वीटीसी: रायपुर, पो–सोहना, गुड़गांव, 3 हरियाणा–122103 द्य संपत्ति का विवरण: वाका मोजा वार्ड नंबर–11, रायपुर, सोहना, तहसील सोहना जिला गुरूग्राम में स्थित एक आवासीय संपत्ति/घर/भूखंड जो खेवट/खाता संख्या 94/106, मु. नंबर–11, किला नंबर 10/6/2(0–10), किता 1 रकबा 0 कनाल 10 मरला आराजी अष्फ बेयर 1/2 बकदर रकबा 0 कनाल 5 मरला यानी 150 वर्ग गज से बना है,	25-07-2026 08-04-2026 रू. 9,83,463
4.	जीआर/केएपी/केयूएन/ए000000883, 1. श्री अवतार सिंह (आवेदक) 2. श्रीमती चंदर कौर (सह–आवेदक)181, वार्ड नंबर–2,गुरुद्वारे के पास, पुराना बस स्टैंड, सोहना, गुरुग्राम, हरियाणा–122103 , संपत्ति का विवरण: आबादी लाल डोरा, वार्ड नंबर–2, गुरुद्वारा मोहल्ला, पुराना बस स्टैंड सोहना, तहसील सोहना, जिला गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित प्रॉपर्टी नंबर–84/1 का हिस्सा, कुल रकबा 72.77 वर्ग गज; इसमें एक ड्राइंग रूम,एक बेडरूम, एक हॉल, एक लॉबी, एक किचन, एक टॉयलेट और एक बाथरूम है।	25-07-2026 08-04-2026 रू. 7,75,323
5.	एचआर/एनसीएच/जीयूआरएच/ए000001364, 1. श्री प्रदीप कुमार (आवेदक) 2. श्रीमती नीतू (सह–आवेदक)। बासलम्बी (130), गुरुग्राम, हरियाणा–122503 , सम्पत्ति का विवरण: मौजा बासलम्बी, तहसील मानेसर और जिला गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित एक फ्रीहोल्ड आवासीय प्रॉपर्टी, जिसमें खेवट/खाता नंबर 297/345 मिन, मुस्त नंबर 32, किला नंबर 15/1 (6–14) किता 1 रकबा 6 कनाल 14 मरला का 2/134 हिस्सा (यानी हकदार रकबा 0 कनाल 2 मरला 0 सरसाई) और खेवट/खाता नंबर 299/347, मुस्त नंबर 32, किला नंबर 6/2 (4–8) किता 1 रकबा 4 कनाल 8 मरला का 15/792 हिस्सा (यानी हकदार रकबा 0 कनाल 1 मरला 6 सरसाई) शामिल है। इस प्रकार, उपरोक्त खेवटों का कुल रकबा 0 कनाल 3 मरला 6 सरसाई (107 वर्ग गज) है।	25-07-2026 08-04-2026 रू. 15,25,565

स्थान: हरियाणा दिनांक: 31.07.2026 — हस्ता /- प्राधिकृत अधिकारी, हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजाब एण्ड सिंध बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) — Punjab & Sind Bank (A Govt. of India Undertaking)

Where service is a way of life

शाखा राजेंद्र प्लेस, भू तल, बैंक हाउस,
21, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली–110008 ई–मेल: d0606@psb-bank-in

दिनांक : 30–07–2026

1. **मैसर्स रमन एंटरप्राइजेज (कर्जदार)**
प्रथम तल, प्लॉट नंबर 2455, सेक्टर बी औद्योगिक क्षेत्र डीएसआईडीसी नरेला नई दिल्ली 110040
डी–405, बवाना।। भोरगढ़ डीएसआईडीसी बवाना दिल्ली 110039
2. **रमन वर्मा (स्वामी/कर्जदार),** डीडीए फ्लैट नंबर 241, भू तल, एमआईजी, पॉकेट नंबर 24, संगम अपार्टमेंट, सेक्टर 24 रोहिणी, नई दिल्ली 110085
3. **रेखा वर्मा (गारंटर) पत्नी रमन वर्मा,**
डीडीए फ्लैट नंबर 241, भू तल, एमआईजी, पॉकेट नंबर 24, संगम अपार्टमेंट, सेक्टर 24 रोहिणी, नई दिल्ली 110085
सी/ओ सत्य प्रकाश वर्मा, मकान नंबर 52, टॉप फ्लोर पॉकेट 26, सेक्टर 24, रोहिणी, उत्तर पश्चिम दिल्ली 110085

प्रिय महोदय/महोदया

विषय : मैसर्स मैसर्स रमन एंटरप्राइजेज खाते में आपको प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पठित, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("सरफासी अधिनियम") की धारा 13(8) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार के अनुसार मोचन हेतु सूचना

जैसा कि आप जानते हैं कि बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने आपके द्वारा विषयगत ऋण खाते में प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत प्रतिभूत आस्ति में प्रतिभूति हित के प्रवर्तन के उपाय के रूप में दिनांक 12–05–2026 (20–05–2026 को प्रकाशित) को सरफासी अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत एक मांग सूचना जारी की है।

तदुपरांत, प्राधिकृत अधिकारी ने अधिनियम की धारा 13(4) के तहत आगे की कार्रवाई करते हुए 21–07–2026 को प्रतिभूति आस्ति का कब्जा ले लिया है।

चूंकि आप बैंक के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करने में असफल रहे हैं, इसलिए, अधोहस्ताक्षरी ने प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, उपर्युक्त कर्जदार एवं गारंटरों से बैंक के बकाया ऋणों की वसूली के लिए ई–नीलामी के माध्यम से नीचे वर्णित प्रतिभूत आस्ति को बेचने का निर्णय लिया है।

आपका ध्यान प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(8) की ओर आकर्षित किया जाता है, जो प्रतिभूति आस्तियों के मोचन हेतु उपलब्ध समय (जोकि 30 दिन है) के संबंध में है। कृपया ध्यान दें कि धारा 13(8) के तहत आपका अधिकार, प्रतिभूति आस्तियों के पट्टा, समनुदेशन या सार्वजनिक नीलामी या सार्वजनिक या निजी संधि से बिक्री के माध्यम से हस्तांतरण हेतु कोटेशन या निविदा आमंत्रण हेतु सूचना के प्रकाशन की तिथि से समाप्त हो जाएगा।

अचल संपत्ति की बिक्री के लिए बिक्री नोटिस का विवरण निम्नानुसार है :–

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना

ई नीलामी तिथि और समय	: 01–09–2026 पूर्वा. 11:00 बजे से अप. 01:00 बजे तक
निरीक्षण की तिथि	: 19–08–2026 पूर्वा. 11:00 बजे से अप. 01:00 बजे तक
बिड जमा करने की अंतिम तिथि	: 31–08–2026 अप. 11.59 बजे तक

कर्जदार एवं गारंटरों का नाम :
कर्जदार : 1. मैसर्स रमन एंटरप्राइजेज (कर्जदार)
2. रमन वर्मा (स्वामी/कर्जदार),
गारंटर : 1. रेखा वर्मा

मांग सूचना तिथि एवं राशि, खाता विवरण
12–05–2026 रूपये 1,40,25,093.30 + उस पर ब्याज

30–06–2026 तक कुल बकाया : रु. 1,42,72,284.30

संपत्तियों का विवरण	एमआरपी
डीडीए फ्लैट नंबर 241, भू तल, एमआईजी, पॉकेट नंबर 24, सेक्टर 24 रोहिणी, नई दिल्ली 110085 (फ्लैट का एरिया–70 वर्ग मीटर)	रु. 115.00 लाख

प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब एंड सिंध बैंक

बैंक ऑफ महाराष्ट्र — Bank of Maharashtra

भारत सरकार का उपक्रम — एक परिवार एक बैंक

बैंक ऑफ महाराष्ट्र : तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन शाखा : महाबैंक बिल्डिंग, द्वितीय तल, बी–29, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001 फोन नंबर 011–23730887/23730449, आईएफएससी कोड MAHB0001456
ईमेल : bom1456@bankofmaharashtra.bank.in ईमेल : brmgr1456@bankofmaharashtra.bank.in
प्रधान कार्यालय : लोकमंगल, 1501, शिवाजीनगर, पुणे–411005

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना
(परिशिष्ट–4–A)

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को और विशेष रूप से कर्जदार/रों तथा गारंटर/रों को सूचना दी जाती है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पास बंधक/प्रभारित निम्नवर्णित अचल सम्पत्तियां, जिनका कब्जा बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया जा चुका है, तालिका में वर्णित कर्जदार/रों तथा गारंटर/रों से बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बकाया राशि की वसूली के लिए 18–08–2026 को "जैसी है जहां है", जो है जैसी है" तथा "जो भी है वहां है" आधार पर बेची जाएगी। कर्जदार/रों तथा गारंटर/रों, बकाया राशि, अचल सम्पत्ति का संक्षिप्त वर्णन तथा उस पर ज्ञात ऋणभार, कब्जा का प्रकार, सुरक्षित मूल्य और जमा की जाने हेतु धरोहर राशि का विवरण भी नीचे दिए अनुसार है :–

क्र. सं.	कर्जदार और गारंटर का नाम	बकाया राशि और ऋणभार का विवरण	अचल संपत्ति का संक्षिप्त विवरण और ऋणभार	कब्जे का प्रकार	सुरक्षित मूल्य/धरोहर राशि जमा
1.	**कर्जदार : मैसर्स एस.एस. गणपति डायमंड्स एंड ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड** **निदेशक :** 1. श्री राम कुमार बंसल 2. श्री गौरव बंसल **गारंटर :** 1. श्री राम कुमार बंसल 2. श्री गौरव बंसल 3. श्री माईविश योगेश शाह 4. श्री शक्ति सोनी 5. श्रीमती सुनीता बंसल **पता 1:** 305, तृतीय तल, 2502/8 गली नंबर 7 और 8, बीडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली–110005 **पता 2:** 2728/23, तृतीय तल, बीडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली–110005 **पता 3:** ए–218, शास्त्री नगर, नई दिल्ली–110052 **पता 4:** शामजी नाटूभाई बंगलो, सेवाराम लालवानी रोड, मुंबई–400080 **पता 5:** 83–सी, जी और जेयू ब्लॉक, पीतमपुरा, दिल्ली–110088.	**रु. 4,99,96,123.00** (रूपये चार करोड़ निन्यानवे लाख छियानवे हजार एक सौ तेईस मात्र) (+) 29–11–2014 से अनुबंध दर पर लागू नहीं किया गया ब्याज (+) लागत, शुल्क, व्यय, (–) दिनांक 29–11–2014 के बाद वसूली, यदि कोई **ऋणभार : ज्ञात नहीं**	प्रॉपर्टी लॉट नंबर 01 दुकान नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 तृतीय तल पर संपत्ति संख्या 2728, गली नंबर 23–24, ब्लॉक पी, नाईवाला एस्टेट, करोल बाग, नई दिल्ली–110005	बैंक के पास भौतिक कब्जा	**सुरक्षित मूल्य –** रु. 74.67 लाख **ईएमडी राशि –** रू. 7.47 लाख **बोली वृद्धि राशि** रू. 25,000 **नीलामी संबंधी पूछताछ के लिए संपर्क व्यक्ति:** श्री चंदन कुमार मोबाइल नंबर 9935359104
			संपत्ति लॉट संख्या 02 दुकान नं. 304, तृतीय तल का हिस्सा, एमपीएल नं. 2595, प्लॉट नं. 642, गली नं. 4, नाईवाला एस्टेट, बीडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली 110005	बैंक के पास भौतिक कब्जा	**सुरक्षित मूल्य** रू. 34.18 लाख **ईएमडी राशि –** रू. 3.42 लाख **बोली वृद्धि राशि** रू. 25,000 **नीलामी संबंधी पूछताछ के लिए संपर्क व्यक्ति:** श्री चंदन कुमार मोबाइल नंबर 9935359104

ई–नीलामी की तिथि : 18–08–2026 पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 02:00 बजे के बीच
सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि, समय और स्थान : 13–08–2026 को पूर्वा. 11:00 बजे से अप. 5 बजे के बीच
ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि : 17–08–2026

बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया बैंक की वेबसाइट और Baanknet.com पोर्टल (पीएसबी अलायंस) पर दिया गया लिंक **https://bankofmaharashtra.in/asset-for-sales-search** देखें।

दिनांक : 30-07-2026
स्थान : दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी
सहायक महाप्रबंधक, एसएएमबी दिल्ली

पंजाब एण्ड सिंध बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) — Punjab & Sind Bank (A Govt. of India Undertaking)

Where service is a way of life

ई–नीलामी (केवल ई–नीलामी द्वारा बिक्री)

क्षेत्रीय कार्यालय
बी–38/39, इंडस्ट्रियल एरिया, फेज 1, नारायणा, नई दिल्ली 110028

अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी की सार्वजनिक सूचना 01.09.2026 (11.00 बजे पूर्वा. से 1.00 बजे अप.)

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 6(2) चल एवं 8(6) अचल के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई–नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा आम जनता को और विशेष रूप से कर्जदार, बंधककर्ता और गारंटर को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूति ऋणदाता के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जिसका सांकेतिक/भौतिक कब्जा बैंक/प्रतिभूति ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, नीचे उल्लिखित खाते/खातों में बकाया राशि की वसूली के लिए ''जहां है जैसा है'', ''जो है यही है'' और ''जो कुछ भी है वहीं है'' के आधार पर बेचा जाएगा। कर्जदार/बंधककर्ता/गारंटर/प्रतिभूत परिसंपत्तियों का विवरण/बकाया राशि/आरक्षित मूल्य/ई–नीलामी की तिथि व समय, ईएमडी राशि का विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है।

अचल सम्पत्तियों का विवरण

क्र. सं.	कर्जदार/गारंटर का नाम तथा शाखा	सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना की तिथि तथा तिथि तक बकाया राशि (रु.) + भावी ब्याज एवं अन्य उस पर अन्य व्यय	आरक्षित मूल्य / ईएमडी / बोली वृद्धि राशि	सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि तथा समय	कब्जे की स्थिति (भौतिक या सांकेतिक)	ईएमडी जमा करने की अन्तिम तिथि तथा समय	ई–नीलामी की तिथि/समय	अधिकृत प्राधिकारी का नाम तथा नम्बर	लोकेशन साइट के लिए क्यूआर कोड	सम्पत्ति के इमेज के लिए क्यूआर कोड	सेवा प्रदाता के लिए क्यूआर कोड
1	कर्जदार– मैसर्स रमन एंटरप्राइजेज प्रोपराइटर श्री रमन वर्मा गारंटर: श्रीमती रेखा वर्मा शा.का.–राजेन्द्रा प्लेस, नई दिल्ली	डीडीए फ्लैट नं. 241 का इक्विटेबल बंधक, भूतल, एमआईजी, पॉकेट नं. 24, सेक्टर 24, रोहिणी, नई दिल्ली 110085 (फ्लैट का क्षेत्रफल 70 वर्ग मीटर)	12.05.2026 (20.05.2026 को प्रकाशित) रु. 1,42,72,284.30 और उस पर आगे का ब्याज, खर्च और अन्य शुल्क आदि	रु. 115.00 लाख रु. 11.50 लाख रु. 1.15 लाख	19.08.2026 11:00 बजे पूर्वा. से 1:00 बजे अप.	सांकेतिक कब्जा	31.08.2026 को 11:59 बजे अप. तक	01.09.2026 11:00 बजे पूर्वा. से 1:00 बजे अप.	श्री अजीत सरोद मोबाइल: 9892946604			

नियम एवं शर्तें : 1. ऑनलाइन ई–नीलामी नीलामी प्लेटफॉर्म यानी **https://baanknet.in** के माध्यम से दी गई तिथि और समय पर आयोजित की जाएगी। बैंकनेट साइट के लिए क्यूआर कोड। इच्छुक बोलीदाताओं/खरीदारों को वैध ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का उपयोग करके **https://baanknet.in** के माध्यम से पंजीकरण करना आवश्यक है। इच्छुक बोलीदाताओं/खरीदारों को अपने केवाईसी दस्तावेज और बैंक विवरण अपलोड करने की भी आवश्यकता है। पंजीकरण और अपलोड करने की औपचारिकताएं पहले ही पूरी कर ली जानी चाहिए। 2. ईएमडी भुगतान: इच्छुक बोलीदाताओं/क्रेताओं से अनुरोध है कि वे अपने ईमेल–आईडी और मोबाइल नंबर का उपयोग करके पोर्टल (**https://baanknet.in**) पर पंजीकरण करें। ई–केवाईसी की प्रक्रिया डिजिलॉकर के माध्यम से की जानी है और केवाईसी सत्यापन पूरा होने के बाद, इच्छुक बोलीदाता/क्रेता लॉगिन कर सकते हैं और ईएमडी भुगतान कर सकते हैं। ईएमडी भुगतान के लिए इच्छुक बोलीदाताओं/क्रेताओं को क्रेता के रूप में लॉगिन करने के बाद पोर्टल पर दिए गए क्रेता मैनुअल द्वारा निर्देशित किया जा सकता है। भुगतान गेटवे के माध्यम से और चालान बनाकर तथा वॉलेट में राशि जमा करके भी किया जा सकता है। भुगतान निर्धारित समय से पहले ही सुनिश्चित कर लेना चाहिए। इच्छुक बोलीदाता ई–नीलामी बंद होने से पहले **https://baanknet.in** नीलामी पोर्टल पर प्री–बिड ईएमडी जमा कर देगा। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा, असफल बोलीदाताओं की ईएमडी की वापसी के लिए, बोलीदाता को **https://baanknet.in** पर लॉग इन करके तथा क्रेता मैनुअल में दी गई वापसी प्रक्रिया का पालन करके ई–नीलामी सेवा प्रदाता से ऑनलाइन रिफंड प्राप्त करना होगा। असफल बोलीदाता की ईएमडी राशि बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी। सफल एच1 बोली के बाद शेष राशि खाता संख्या 80135040070003 नामः एनईएफटी इनवर्ड एसटीपी पार्किंग खाता आईएफएससी कोडः **PSIB0008013** में जमा की जानी है। 3. बोली लगाते समय बोलीदाता को उपरोक्त वेबसाइट में उल्लिखित सूची से उस संपत्ति का चयन करना होगा जिसके लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है और/या बोलीदाता सीधे संपत्ति आईडी दर्ज कर सकता है। पूछताछ के लिए संपर्क नंबर–8291220220 और ईमेल आईडी – **support.baanknet@psballiance.com** पर संपर्क करें। पंजीकरण, लॉगिन और बोली नियमों के लिए, कृपया **https://baanknet.in** के होम पेज में दिए गए क्रेता मैनुअल लिंक को देखें। 4. बोली लगाने के समय बोलीदाता के ई–वॉलेट में ईएमडी राशि के बराबर या उससे अधिक पर्याप्त शेष राशि होनी चाहिए। 5. ई–नीलामी के दौरान, बोलीदाताओं को अंतिम बोली के ऊपर और ऊपर इंटर–से–बोली में उच्च बोली की पेशकश करने की अनुमति होगी बोलीदाताओं को लगातार उच्च बोली लगाने के लिए दस मिनट का समय दिया जाएगा और यदि अंतिम उच्चतम बोली से दस मिनट की समाप्ति के बाद किसी भी बोलीदाता द्वारा कोई उच्च बोली नहीं दी जाती है, तो ई–नीलामी बंद कर दी जाएगी। 6. इच्छुक बोलीदाताओं की यह जिम्मेदारी है कि वे बिक्री सूचना, ई–नीलामी के नियम और शर्तें, ई–नीलामी के परिचालन भाग पर सहायता मैनुअल को ठीक से पढ़ें और उनका कठोरता से पालन करें। 7. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ई–नीलामी को अंतिम रूप दिए जाने के बाद, सफल बोलीदाता को हमारे ऊपर संदर्भित सेवा प्रदाता द्वारा सेवा प्रदाता के साथ पंजीकृत एसएमएस/ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। 8. प्रतिभूत परिसंपत्ति को आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेचा जाएगा। 9. सफल नीलामी क्रेता/बोलीदाता को बोली राशि का 25% (पच्चीस प्रतिशत) (यानी पहले जमा की गई ईएमडी राशि सहित) नीलामी के अंतिम रूप देने/समापन के तुरंत बाद यानी उसी दिन या अगले कार्य दिवस से पहले जमा करना होगा। बोली/खरीद मूल्य की शेष राशि का भुगतान सफल नीलामी क्रेता/बोलीदाता द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को संपत्ति की बिक्री की पुष्टि के पंद्रहवें दिन या उससे पहले या क्रेता और प्रतिभूति लेनदारों के बीच लिखित रूप में सहमत ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर किया जाएगा, जो किसी भी मामले में तीन महीने से अधिक नहीं होगी। निर्धारित समय के भीतर ऊपर बताई गई राशि जमा करने में विफल रहने की स्थिति में, सफल बोलीदाता द्वारा जमा की गई राशि बैंक द्वारा जब्त कर ली जाएगी और प्राधिकृत अधिकारी को संपत्ति की नई नीलामी/बिक्री करने की स्वतंत्रता होगी और चूक करने वाले बोलीदाता का जब्त की गई राशि और संपत्ति पर कोई दावा नहीं होगा। 10. भुगतान में चूकः उसी दिन या अगले कार्य दिवस पर जैसा कि ऊपर बताया गया है, बोली राशि (ईएमडी सहित) का 25% और/या निर्धारित समय के भीतर शेष बोली राशि का 75% भुगतान न करने पर बिना किसी नोटिस के बिक्री स्वतः रद्द हो जाएगी। सफल बोलीदाता द्वारा भुगतान की गई ईएमडी और अन्य धनराशि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बैंक में जब्त कर ली जाएगी और चूककर्ता क्रेता संपत्ति या उस राशि के किसी भी हिस्से पर सभी दावों को खो देगा जिसके लिए इसे बाद में बेचा जा सकता है। 11. सफल बोलीदाता द्वारा बैंक को बिक्री प्रतिफल का भुगतान आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194–1ए के तहत टीडीएस के अधीन होगा और सफल बोलीदाता द्वारा बोली राशि के शेष 75% जमा करने के समय ही टीडीएस जमा किया जाना है। 12. बिक्री प्रमाण पत्र में बोली में उल्लिखित नामों के अलावा अन्य नामों को शामिल करने/प्रतिस्थापित करने के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। बिक्री प्रमाण पत्र केवल सफल बोलीदाता के नाम पर जारी किया जाएगा। 13. प्राधिकृत अधिकारी किसी भी/सभी बोलियों को स्वीकार करने या अस्वीकार करने, यदि स्वीकार्य न हों, या किसी भी समय बिना कोई कारण बताए नीलामी की शर्तों को स्थगित/रद्द/स्थगित/बंद करने या बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है और इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम होगा। 14. बिक्री प्रमाणपत्र जारी करने के विरुद्ध डीआरटी/डीआरएटी/उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय द्वारा पारित किसी भी स्थगन/निषेध/प्रतिबंध आदेश के संचालन के लंबित रहने तक बिक्री प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, इस अवधि के दौरान जमा की गई राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। बिक्री प्रमाणपत्र के निष्पादन तक सफल बोलीदाता द्वारा की गई जमा राशि को ब्याज रहित जमा खाते में रखा जाएगा। आंशिक या पूर्ण रूप से जमा राशि वापस करने/बिक्री को रद्द करने के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। डीआरटी/डीआरएटी/उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय द्वारा आगे की कार्यवाही पर रोक लगाने की स्थिति में, नीलामी को स्थगित या रद्द किया जा सकता है और इसमें भाग लेने वाले व्यक्तियों को प्राधिकृत अधिकारी/बैंक के विरुद्ध ऐसे स्थगन या रद्दीकरण के लिए क्षतिपूर्ति, मुआवजा या लागत का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा। 15. इच्छुक क्रेता ऊपर उल्लिखित दिनांक और समय पर या बैंक द्वारा सूचित किए अनुसार अपने खर्च पर संपत्ति का निरीक्षण कर सकते हैं। बैंक के पास उपलब्ध स्वामित्व दस्तावेज और अन्य दस्तावेजों के निरीक्षण के लिए, इच्छुक बोलीदाता कार्यालय समय के दौरान पंजाब और सिंध बैंक की संबंधित शाखा से संपर्क कर सकते हैं। 16. संपत्तियों को ''जैसा है जहां है'', ''जो है यही है'' और ''जो कुछ भी है वहीं है'' के आधार पर बेचा जा रहा है और इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी स्वयं की विवेकपूर्ण स्वतंत्र जांच करनी चाहिए और संबंधित रजिस्ट्रार / एसआरओ / राजस्व रिकॉर्ड / अन्य वैधानिक अधिकारियों से बैंक के प्रभार के अलावा बिक्री कर, उत्पाद शुल्क / जीएसटी / आयकर जैसे किसी भी प्राधिकरण के ऋणभार और दावे / अधिकार / बकाया / प्रभार के बारे में सत्यापित करना चाहिए और अपनी बोलियां जमा करने से पहले संपत्ति पर स्वामित्व प्रकृति, विवरण, सीमा, गुणवत्ता, मात्रा, स्थिति, ऋणभार, ग्रहणाधिकार, प्रभार, वैधानिक बकाया आदि के बारे में खुद को संतुष्ट करना चाहिए। ई–नीलामी विज्ञापन बैंक की किसी भी प्रतिबद्धता या किसी भी प्रतिनिधित्व का गठन नहीं करता है और न ही इसे ऐसा माना जाएगा। प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिभूति लेनदार किसी भी तीसरे पक्ष के किसी भी तरह के ऋणभार/दावे/अधिकार/बकाया के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। ऑनलाइन बोली जमा करने के बाद बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई भी दावा शुल्क/ऋणभार, संपत्ति पर या किसी अन्य मामले आदि पर विचार नहीं किया जाएगा। 17. बैंक बिक्री के लिए पेश की गई संपत्ति के संबंध में कोई अनुमति/लाइसेंस, एनओसी आदि प्राप्त करने की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिभूति लेनदार किसी भी बकाया जैसे पानी/सेवा शुल्क, हस्तांतरण शुल्क, बिजली बकाया, नगर निगम/स्थानीय प्राधिकरण/सहकारी आवास सोसायटी का बकाया या कोई अन्य बकाया, कर उगाही, शुल्क, हस्तांतरण शुल्क आदि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। सफल बोलीदाताओं को संपत्ति की खरीद के संबंध में आयकर के प्रावधानों का पालन करना होगा और लागू दरों के अनुसार अधिकारियों को कर का भुगतान करना होगा। 18. बोलीदाता को उचित इंटरनेट कनेक्टिविटी, पावर बैक–अप आदि सुनिश्चित करना चाहिए। इंटरनेट विफलता, बिजली विफलता या तकनीकी गड़बड़ियों या ई–नीलामी को प्रभावित करने वाले किसी भी कारण/आकस्मिकता के कारण होने वाली किसी भी बाधा के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा। 19. यदि संपत्ति बैंक के सांकेतिक कब्जे में है और बोलीदाता सांकेतिक कब्जे में संपत्ति खरीद रहा है तो यह उनके अपने जोखिम और जिम्मेदारी पर होगा। 20. बोली की वैधता, बोली की राश